

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
520/2025

दायर दिनांक
30.10.2025

निर्णय दिनांक
07/11/2026

उनवान

1. श्री सुरजमल गुर्जर पिता श्री रामलाल गुर्जर निवासी लावडो का खेडा गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा, राजस्थान।
2. माधु गुर्जर पिता श्री रामलाल गुर्जर निवासी लावडो का खेडा गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा, राजस्थान।
3. उदय लाल पिता श्री रामलाल गुर्जर निवासी लावडो का खेडा, गुरला, जिला भीलवाडा
4. सायरी देवी पत्नि देवचन्द गुर्जर, निवासी लावडों का खेडा, गुरलां, भीलवाडा।

—प्रार्थीग
ण

बनाम

1. अनोपी देवी पत्नि राजू लाल गुर्जर, निवासी लावडो का खेडा, गुरला, भीलवाडा,
2. नारायणी देवी पत्नि मिठू लाल गुर्जर, निवासी लावडो का खेडा, गुरला, भीलवाडा
3. भंवर पिता नाथू गुर्जर, निवासी लावडो का खेडा, गुरलां, भीलवाडा, ।
4. सीता देवी पत्नी सुखदेव गुर्जर नि0 लावडो का खेडा, गुरला, तह0 व जिला भीलवाडा।
5. भैरू पिता गणेश दरोगा, निवासी लावडो का खेडा, गुरलां, भीलवाडा।
6. मनोहर पिता गणेश दरोगा, निवासी लावडो का खेडा, गुरलां, भीलवाडा।
7. रामेश्वर पिता गणेश दरोगा, निवासी लावडो का खेडा, गुरलां, भीलवाडा।
8. देवी लाल पिता गणेश दरोगा, निवासी गुरलां, जिला भीलवाडा, ।
9. कान सिंह पिता कैलाश दरोगा, निवासी गुरलां, जिला भीलवाडा, ।
10. महेन्द्र सिंह पिता कैलाश, दरोगा, निवासी गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा, ।
11. बबलू सिंह पिता कैलाश, दरोगा, निवासी गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा, ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री दिनेश गुर्जर उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी संख्या 12 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :-

निर्णय दिनांक..... 07/11/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गुरलां पटवार हल्का गुरलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1467 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 11 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 11 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुरलां पटवार हल्का गुरलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1467 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 11 को सम्यक सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो और नंबर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा